संख्या-95/2021/493/22-4-2021-48(9)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 03 सितम्बर, 2021

विषयः-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित बॉडी वार्न कैमरों के प्रयोग से बन्दी सुधार के पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10837/आधु-2/05 जेल/बा0वा0कै0 2020, दिनांक-20.04.2021 एवं पत्र संख्या-21178/आधु-2/बा0वा0कै0/2020, दिनांक-16.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया प्रदेश की 10 कारागारों क्रमशः केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) एवं जिला कारागार सीतापुर, कानपुर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा मुजफ्फरनगर में 6-6 बॉडी वार्न कैमरें तथा उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा अनुदानित धनराशि निम्न विवरणानुसार पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यों का प्रोक्योरमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 80.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शत प्रतिशत धनराशि रू0 80,00,000/-(रूपया अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	आइटम	मात्रा (प्रति जेल)	दर प्रति	मात्रा (10 जेलों हेतु)	10 जेलों हेतु कुल लागत
1	बॉडी वार्न कैमरा(10जेल मे)	06 प्रति जेल	57700	60	3462000
2	डेस्कटॉप/वर्क स्टेशन(सर्वर)	1	109300	10	1093000
3	डिसप्ले यूनिट	1	68000	10	680000
4	सहवर्ती उपकरण (यूएसबी,कैमरा टाईपाड, कार्ड रीडर आदि)	01 सेट	19000	10	190000
5	स्टेशनरी वीडियो कैमरा (डीएसएसआर)	1	52500	10	525000
6	साफटवेयर संरचना/ कस्टमाइजेशन	01 जॉब	25000	10	250000
7	साइकोमैट्रिक एनालिसिस तथा प्रशिक्षण	10	13000	100	1300000
8	मोटिवेशनल वीडियो क्लिप तैयार करना	10	5000	100	500000
				योग	8000000

(1) उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उपकरणों के क्रय के पश्चात कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2022 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य-14-कारागारों के लिये उपकरणों,संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/123(ई0ओ0)/दस/2021, दिनांक-01 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-95/2021/493/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।